न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 180 / 2012

उनवान

1. लाखा आत्मज सोनाथ गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. टेका आत्मज सोनाथ गुर्जर निवासी गारियाखेडा मृतक के कायम मुकाम :–

   2 / 1 हरदेव पुत्र स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा

   2 / 2 रामदेव पुत्र स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा

   2 / 3 जयदेव पुत्र स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा

   2 / 4 श्रीमती जीया पत्नि स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा

   2 / 5 कमला पुत्री स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर उम्र नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती जीया पत्नी स्व0 टेका (टेकाराम)
   गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द

   2 / 6 सुश्री समता पुत्री स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर उम्र नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती जीया पत्नी स्व0 टेका (टेकाराम)
   गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द
3. चेतन आत्मज सोनाथ गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. तेजू आत्मज मोटा गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. पांची पत्नि मोटा गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के
प्रकरण संख्या 319/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2011

अभिभाषक : 1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

आदेश

दिनांक 29.06.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गारिया खेडा पटवार हल्का चतरपुरा तहसील आसीन्द स्थित आराजियात की सिंचाई हेतु आज से करीब 20 वर्ष पूर्व वादी संख्या 1 के पिता वादिया संख्या 2 के पति स्व0 श्री मोटा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति सोनाथ ने सम्मिलित रूप से शामलाती में एक कुआ खुदवाया व उस पर विद्युत कनेक्शन दोनों के नाम शामलाती लिया गया व आज तक उक्त कुए का विद्युत वाटर पम्प का शामलाती रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पिता व पति को को इस बात की जानकारी हुई कि यह कुआ आराजी नम्बर 32 में नहीं होकर बिलानाम आराजी नम्बर 35 में है ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अकेले सोनाथ ने अपने नाम पर गलत एवं अवैध रूप से बिना सहखातेदार टेका की जानकारी के अलोट करा लिया । जबकि कुआ शामलाती में खुदवाया गया था तथा बिजली कनेक्शन भी शामिल में लिया गया और वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 तक संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से अनुसार विवादित कुए का उपयोग उपभोग व विद्युत बिल का भुगतान करते आ रहे हैं अलोटमेंण्ट के पश्चात विवादित कुए का नम्बर 864/35 दर्ज किया गया तथा हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित चाह का नम्बर 256 रकबा 0.06 हेक्टर दर्ज किया गया जो हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वादीगण को प्रथम बार इसकी जानकारी कि विवादित आता चाह नम्बर 256 रकबा 0.06 हेक्टर गैर मुमकिन आता चाह प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है की जानकारी सहायक अभियन्ताअ0वि0वि0निगम लिमिटेड के पत्रांक/749 दिनांक 4.8.04 के द्वारा हुई और जानकारी होते ही वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को विवादित चाह में अपना नाम जुडवाने का कहने पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया । जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। यदि प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी इस चाह से सिंचाई नहीं करने देंगे तो वादीगण अपनी फसलों की सिंचाइ करने से महरूम हो जायेगें। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.8.2013 को वादी का वाद पत्र दिनांक 10.11.2011 को स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी यथासमय नहीं हुई थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा जानकारी देने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तब जाकर अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त आता चाह वादीगण के पिता/पति मोटा गुर्जर एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता/पति सोनाथ गुर्जर ने रूप से खुदवाया एवं उपयोग उपभोग भी शामलाती रूप से करते आ रहे है एवं बिजली का बिल भी संयुक्त रूप से जमा करा रहे हैं। प्रतिवादीगण के पिता/पति सोनाथ ने कुए को अकेले अपने नाम पर अलोट करा लिया। अलोटमेंण्ट के बाद कुए का नम्बर 864/35 दर्ज हुआ जो वर्तमान में आता चाह नम्बर 256 रकबा 0.06 हे0 दर्ज रेकार्ड है। जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को सिंचाई करने से नहीं रोके । इस तथ्य की जानकारी सहायक अभियन्ता द्वारा जारी पत्र से इस तथ्य की जानकारी वादी को हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज होने के बाद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अधिवक्ता को नियुक्त किया था जिन्होनें अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को कहा कि उन्हें जरूरत होने पर बुलवा लिया जायेगा। जिस पर अपीलार्थीगण अगली पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता ने पेशी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर आने के लिए कोई सूचना भी नहीं दी। जिस पर दिनांक 24.11.2005 को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया ।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आता चाह अपीलार्थीगण के पिता ने स्वयं ही खुदवाया था । प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति का उक्त आता चाह में कोई योगदान नहीं था। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र में गलत तथ्य अंकित किये थे। अकेले अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता/सोनाथ जी ने अकेले कुआ खुदवाया था इस कारण उक्त कुए का अलोटमेंण्ट अकेले सोनाथ जी के नाम पर किया गया था। मात्र बिजली का कनेक्शन प्रत्यर्थीगण के पिता/पति मोटा जी एवं अपीलार्थीगण के पिता/पति सोनाथ जी के नाम शामलाती हो जाने से मोटा जी का कोई अधिकार आता चाह में नहीं हो जाता है। वादग्रस्त आता चाह का आवंटन अपीलार्थीगण के पिता सोनाथ जी के नाम पर हुआ था एवं उनकी मृत्यु के बाद विरासत से अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में सही तौर पर दर्ज किया गया है मोटा जी ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त विवादित कुए में मालिकाना हक बाबत कोई उजर नहीं किया था। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का भी पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण के पिता/पति मोटा जी एवं अपीलार्थीगण के पिता/पति सोनाथ जी ने मिलकर वादग्रस्त आता चाह खुदवाया था एवं शामलाती रूप से विद्युत कनेक्शन भी लिया था एवं उसी अनुरूप आता चाह से अपने अपने हिस्से की आराजियात की सिंचाई करते आ रहे है। डिमाण्ड की राशि भी दोनों ने मिलकर जमा कराई थी। सोनाथ जी ने वादग्रस्त आता चाह का आवंटन अपने अकेले के नाम पर करवा लिया । जिसकी जानकारी वादीगण/प्रत्यर्थीगण को नहीं थी। सहायक अभियन्ता, ए0वी0वी0निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र से उनको जानकारी हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से अपने वाद को साबित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आता चाह उनके पिता/पति सोनाथ जी ने अकेले ही खुदवाया था एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कब्जा भी अपीलार्थीगण का ही चला आ रहा है । सोनाथ जी द्वारा कुआ खुदवाया जाने के कारण आता चाह सोनाथ जी के नाम पर आवंटन किया गया । उक्त अलोटमेंण्ट के पश्चात विवादित कुए का नम्बर 864/35 दर्ज किया गया तथा हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित चाह का नम्बर 256 रकबा 0.06 हेक्टर दर्ज किया गया जो हाल राजस्व रेकार्ड में सोनाथ जी की मृत्यु के उपरान्त विरासत से अपीलार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थीगण का कथन है कि आता चाह संयुक्त रूप से मोटा जी एवं सोनाथ जी खुदवाया था एवं बिजली कनेक्शन भी शामलाती लिया गया है एवं बिजली का बिल भी शामलाती रूप से भरा जा रहा है। उभयपक्ष कुए के पानी का संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपनी ओर से गवाह पी डब्ल्यू 1 तेजू तथा पी डब्ल्यू 2 भागु के बयान पंजिबद्ध कराये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पत्र जो कि सहायक अभियन्ता ए0वी0वी0निगम लिमिटेड, बदनोर के द्वारा जो पत्र कमांक 749 दिनांक 4.8.04 जारी किया गया वह वादीगण के वली मोटा पिता हालू गुर्जर को लिखा गया है जिसमें टेकाराम पिता सोराम गुर्जर द्वारा शामलाती कनेक्शन को अपने नाम कराने हेतु निवेदन किया जाना जाहिर आता है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आता चाह पर जो विद्युत कनेक्शन लिया गया वह अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के पिता सोनाथ एवं मोटा गूर्जर ने शामलाती रूप से लिया था। उक्त आता चाह आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 187 दिनांक 12.10.78 द्वारा 864/35 अपीलार्थीगण के पिता सोनाथ के नाम पर दर्ज किया गया था। जो प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2059 से 2062 मौजा गारिया खेडा का आता चाह नम्बर 356 रकबा 0.06

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हेक्टर लाखा, टेका, चेतन पिता सोनाथ व मु0 धन्नी बेवा सोनाथ गुर्जर के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। इस संबंध में गवाह पी डब्ल्यू 2 भागु जो कि गारिया का खेडा का निवासी होकर उसकी उम्र 52 वर्ष है जिसने वादग्रस्त आता चाह मोटा व सोनाथ द्वारा 20–22 साल पहले कुए खोदना व पक्का बंधवाना अपने बयान में लिखाया है। जिसने कुआ सरकारी जमीन में खोदना बताया है तथा कुए पर बिजली की मोटर लगी होना व जिसका कनेक्शन भी मोटा व सोनाथ द्वारा शामिल में लिया जाना बताया है। गवाह भागु ने यह भी अपने बयान में अंकित कराया है कि कुआ वाली जमीन को प्रतिवादीगण ने अपने नाम करा लिया जो गलत कराया है कुआ शामलाती में खोदने से उसमें वादीगण का नाम भी दर्ज होना चाहिये।'' अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, गवाह के बयान के आधार पर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2011 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 180 / 2012

उनवान

1. लाखा आत्मज सोनाथ गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. टेका आत्मज सोनाथ गुर्जर निवासी गारियाखेडा मृतक के कायम मुकाम :–

2/1 हरदेव पुत्र स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा
2/2 रामदेव पुत्र स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा
2/3 जयदेव पुत्र स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा
2/4 श्रीमती जीया पत्नि स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर निवासी गारियाखेडा
2/5 कमला पुत्री स्व0 टेका(टेकाराम)गुर्जर उम्र नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती जीया पत्नी स्व0 टेका (टेकाराम) गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द
2/6 सुश्री समता पुत्री स्व.0 टेका(टेकाराम)गुर्जर उम्र नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती जीया पत्नी स्व0 टेका (टेकाराम) गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द

3. चेतन आत्मज सोनाथ गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. तेजू आत्मज मोटा गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. पांची पत्नि मोटा गुर्जर निवासी गारिया खेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 319 / 2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2011

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 180 / 2012** मे **उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 29.6.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री संजय सेन वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री बी एल गुर्जर की उपस्थिति मे दिनांक 29.6.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2011 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 29.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

29/6/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस